न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— सोहन लाल, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या— 34 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती शांतिदेवी पत्नी देवाराम जाति देवासी निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. बादरराम पुत्र पोकरराम 2. भंवरलाल पुत्र बादरराम 3. पेमाराम पुत्र बादरराम 4. रेंवतराम पुत्र बादरराम 5. मोहनलाल पुत्र बादरराम जातियान देवासी निवासीगण रामासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या—1 से 5 की ओर से डी.डी. रामावत एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 28/3/2022

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 494 / 2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर आयी हुयी है। यह भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा, कब्जाशुदा खातेदारी की है। प्रार्थी ने अपनी रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494 / 2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर पर इस वर्ष मूंग की फसल को बोया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 5 दिनांक 07.07.2020

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

को ट्रेक्टर लेकर प्रार्थी के खेत के अन्दर आ गये और प्रार्थी के खेत के पश्चिमी हिस्से की माठ पर रोपे गये पत्थर एवं तारबन्दी को हटाकर ट्रेक्टर से माठ को खड़ाई करवाना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को मालूम पड़ी तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को ओलबा दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थी के साथ धक्का धूम व मारपीट करना शुरू कर दिया, इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी घटना कारित कर दिये जाने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध दिनांक 11.07.2020 को पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवायी, जिस पर पुलिस थानाधिकारी मौके पर आये और अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को ऐसी घटना कारित करने से पाबन्द किया। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा की ओर ग्राम चान्देलाव से रामासनी जाने वाली डामरीकृत सड़क आयी हुयी है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 में कृषि कार्य करने हेतु इसी ग्राम चांदेलाव से रामासनी जाने वाली डामरीकरण सड़क से अपने खेत में कृषि कार्य करने पहुचता है। इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 के उत्तरी दिशा की ओर स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता से होकर आते जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में कृषि कार्य करने हेतु का मार्क ए.बी.सी.डी. का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अभी दिनांक 02.08.2020 को अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 494 के उतरी दिशा की ओर मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर चल रहे रास्ते पर खडा खोदकर पाला दे दिया और उस पर अंग्रेजी बबूल की झाड़िया आदि को डाल दिया ताकि प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 494/2 में काश्त कार्य से वंचित रह सके और अप्रार्थी संख्या 1 से 5 से राजीनामा कर ले। अतः अप्रार्थीगण को रास्ते पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की इन नाजायज हरकतों को रोकने के लिए प्रार्थी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। दावे के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है, जिस पर काश्त करने का प्रार्थी को पूरा अधिकार है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में तथा मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता की भूमि में किसी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को काश्त नही करने देने व झूठे फौजदारी मुकदमों में फसाने की धमकिया दे रहे है, अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में व मार्क ए.बी.सी. डी. रास्ता के भाग में नाजायज दखन करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी सख्या–1 से 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या–1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवनगर रामासनी की भूमि खसरा नम्बर 494/2 का मूल खातेदार बादरराम है, जिसे धोखे में रखकर प्रार्थीया द्वारा दिनांक 28.01.2011 को बेचाननामा कपटपूर्वक अपने हक में करवा लिया जिसे निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से नियमित दिवानी वाद पेश कर दिया है, जो विचाराधीन है। अप्रार्थी की ओर से पुलिस थाना बिलाड़ा में भी मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। मौजुदा वाद की आड में वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपराधिक व सिविल प्रकरण दर्ज करवाये जा चुके है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या–1 को ऋण दिलाने के एवज में अपने पक्ष का बेचाननामा निष्पादित करवा दिया, जो सिविल वाद विचाराधीन है। सिविल वाद विचाराधीन रहते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली की ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है, जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर उसकी खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिस पर दिनांक 11.07.2020 को अप्रार्थी संख्या–1 से 5 ने भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में नाजायज तौर से प्रवेश कर तथा भूमि के अन्दर प्रवेश कर ट्रेक्टर से खड़ाई कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गयी तथा दिनांक 02.08.2020 को प्रार्थी के खेत में जाने वाले मार्क ''ए''बी''सी''डी'' की भूमि पर खडा खोदकर पाला देकर उस पर अंग्रेजी बबूल की झाडियां डाल दिया, एवं प्रार्थी के खेत में आने जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया जिसके कारण प्रार्थी खेती से महरूम हो गयी, ऐसी हरकत करने का प्रार्थी ने अप्रार्थी को ओलबा दिया जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को नाजायज हरकत करने से मना किया, ऐसी नाजायज हरकत करने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 11.07.2020 को रिपोर्ट पेश किया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–329 अपराध अन्तर्गत धारा 447, 427, 323, 34, 354 भा॰द॰स॰ के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज की गयी। इस कारण अप्राथीगण को प्रार्थी के खातेदारी भूमि में दखल को रोका जावे और इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है इस

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या–1 से 5 ने जवाब पेश किया एवं उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में बैचाननामा को लेकर दावा पेश करना बताया गया है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म नम्बर 3 के साथ नामान्तकरण संख्या–906 की नकल को पेश किया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया, पत्रावली पर विद्वमान दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर का रेकर्डेड खातेदार है और प्रार्थी ने दिनांक 11.07.2020 को अपनी भूमि पर मूंग की फसल को अवेर कर रही थी, एवं खेत के आने जाने के रास्ते पर पश्चिमी दिशा की माठ को तोड़कर पट्टीयां रोपने लग गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म नम्बर 03 के साथ नामान्तकरण सख्या–906 का दस्तावेज पेश किया जिसकी पुश्त पर खसरा नम्बर 494/2 तरमीमशुदा है, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 494/2 के पश्चिमी दिशा की ओर आम रास्ता चलता है। जिससे प्रार्थीया अपने खेत खसरा नमबर 494/2 में काश्त कार्य करती है। लेकिन खसरा नम्बर 494 के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थीया के आने जाने के रास्ते पर जेसीबी मशीन से पाला डालकर खेत के रास्ते को अवरूध कर दिया जिसके कारण प्रार्थीया खेती से वंचित हो रही है। इस कारण एक खातेदार अपनी भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होती है। विवादित भूमि प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, जिस पर उसका हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। अत प्रथम दृष्टया केस का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2. **सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति** :– प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम कर दी जायेगी। अतः उपरोक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी श्रीमती शान्ति देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी की, खातेदारी की ग्राम शिवनगर (रामासनी), तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हेक्टेयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे तथा विवादग्रस्त भूमि में किसी भी भाग पर काश्त आदि नही करे। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करे। एवं न ही काश्त कार्य में बाधा करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 28/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा